अंता विधायक की एसएलपी खारिज दो सप्ताह में सरेंडर करने के आदेश

- सुप्रीम कोर्ट ने मीणा के आपराधिक इतिहास पर भी सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि घटना के बाद याचिकाकर्ता कई साल तक फरार रहा और इसके चलते मामले की सुनवाई घटना के छह साल 2011 में आरंभ हो पाई।
- एसएलपी खारिज होने के बाद अब मीणा की विधायकी जाना लगभग तय हो गया है।

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने लोक सेवक पर हमला करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुडे मामले में अंता विधायक कंवरलाल मीणा की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त कंवरलाल मीणा को दो सप्ताह में सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने यह आदेश कंवरलाल मीणा की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने मीणा के आपराधिक इतिहास पर भी सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि घटना के बाद याचिकाकर्ता कई साल तक फरार रहा और इसके चलते मामले की सुनवाई घटना के छह साल 2011 में आरंभ हो पाई। सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी खारिज होने के बाद अब मीणा की विधायकी जाना लगभग तय हो गया है।

एसएलपी में राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने मीणा को ट्रायल कोर्ट से मिली तीन साल की सजा को रद्द करने से मना कर दिया था। वहीं उन्हें ट्रायल कोर्ट के समक्ष तत्काल सरेंडर करने का निर्देश दिया था। एसएलपी में अधिवक्ता नमित सक्सेना ने कहा कि अभियोजन पक्ष के पास ठोस सबूत ही नहीं थे। कथित घटना में 300 से 400 लोग मौजूद थे, लेकिन इनमें से एक भी व्यक्ति से अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर पूछताछ नहीं हुई। ट्रायल कोर्ट में भी किसी स्वतंत्र गवाह के बयान दर्ज नहीं कराए गए। इसके अलावा कथित रिवॉल्वर की कोई बरामदगी नहीं हुई है। इसलिए हाईकोर्ट और निचली अदालत के आदेशों को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए अभियुक्त को दो सप्ताह में सरेंडर करने को कहा है।

गौरतलब है कि अकलेरा के तत्कालीन एसडीओ रामनिवास मेहता ने 5 फरवरी, 2005 को स्थानीय कलेक्टर को पत्र लिखा कि 3 फरवरी को मनोहर थाना के पास गांव के लोक खाताखेडी के उपसरपंच के चुनाव का रिपोल कराने को लेकर रास्ता रोक रहे थे। इस दौरान वह और प्रशिक्षु आईपीएस सहित अन्य स्टाफ समझाइश कर रहा था। इतने में कंवरलाल अपने साथियों के साथ वहां आया और उसके सिर पर रिवाल्वर लगाकर दो मिनट में रिपोल की घोषणा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान उसने विभाग की ओर से कराई गई वीडियोग्राफी की कैसेट भी तोडकर जला दी। कलेक्टर की ओर से इस पत्र को एसपी को भेजने के बाद 9 फरवरी को पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। एसीजेएम, मनोहर थाना ने 2 अप्रैल, 2018 को कंवरलाल को बरी कर दिया था। इसके खिलाफ परिवादी और राज्य सरकार की अपील पर एडीजे कोर्ट, अकलेरा ने 14 दिसंबर, 2020 को कंवरलाल को तीन साल की सजा के साथ 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। इसके खिलाफ पेश रिवीजन पर हाईकोर्ट ने 19 अक्टूबर, 2023 को सजा पर अंतरिम रोक लगा दी थी। वहीं गत दिनों अदालत ने मीणा की याचिका खारिज की थी। इसके खिलाफ पेश एसएलपी पर अदालत ने मीणा को अंतरिम राहत देते हुए सरेंडर करने पर छूट दी थी। वहीं अब अदालत ने एसएलपी को खारिज कर दिया है।

संविधान बचाओ रैली स्थगित

जयपुर। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा 8 मई 2025 को प्रस्तावित संविधान बचाओ रैली एवं सामाजिक न्याय हेतु जातिगत जनगणना के लिए जन जागरण अभियान का कार्यक्रम स्थगित किया जाता है।

उपरोक्त कार्यक्रम भारतीय सेना द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक करने पर उपजी परिस्थितियों के कारण युद्ध की संभावनाओं के मध्य नजर स्थगित किया गया है। हम सब भारत सरकार एवं भारतीय सेना के साथ हैं और जिस तरह सेना द्वारा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया भारतीय सेना को हम सलूट करते हैं जटिल परिस्थितियों में आप द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूत कर आतंकवादियों को मार गिराया गया है।

एक हजार ग्राम पंचायतों में खुलेंगे बर्तन बैंक

जयपुर। प्लास्टिक के उपयोग को कम करने, पारंपरिक आयोजनों के लिए किफायती विकल्प प्रदान करने और समाज में एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 'बर्तन बैंक योजना' के रूप में एक अभिनव पहल कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुरूप यह योजना न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश में एक सकारात्मक मॉडल के रूप में कार्य कर सकती है जो पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता की दिशा में एक नया मार्ग प्रशस्त करेगी।

आमजन को सुरक्षा मानकों के बारे में किया जाए जागरूक : सी.एम.

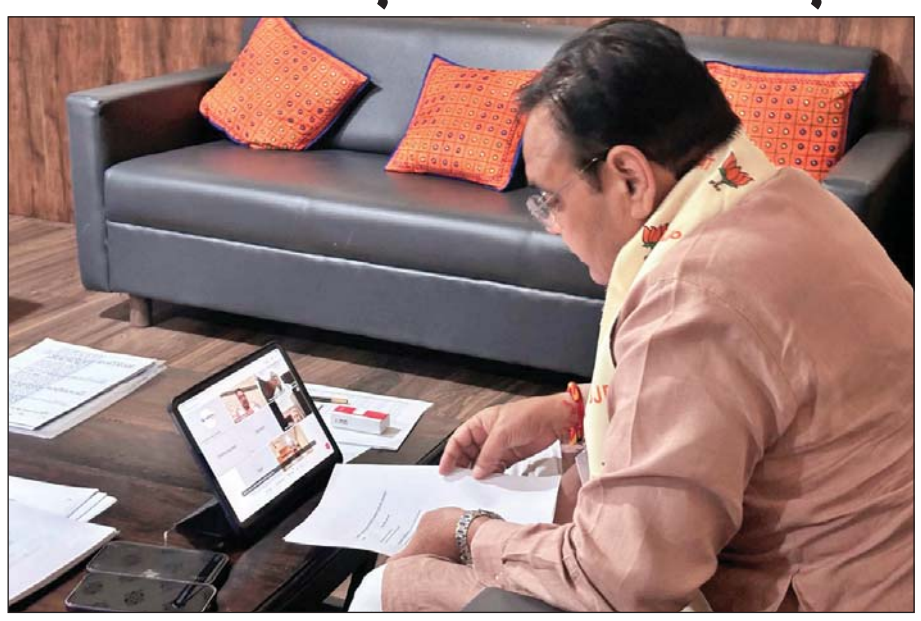

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को आयोजित होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर केवड़िया, गुजरात से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च अधिकारियों के साथ मंगलवार रात को बैठक ली।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों की पालना में आज को आयोजित होने वाली मॉक ड्रिल को लेकर केवड़िया, गुजरात से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च अधिकारियों के साथ मंगलवार रात को बैठक ली।

इस दौरान मुख्यमंत्री शर्मा ने अधिकारियों को गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार समन्वय स्थापित करने, आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली को सुदृढ़ करने एवं नागरिक सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा ही सभी संचार माध्यमों एवं सायरनो को दुरुस्त किया जाकर संचार प्रणाली का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित किया जाए। शर्मा ने कहा कि मॉक ड्रिल के संबंध में आमजन को जागरूक किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला प्रभारी सचिव और जिला कलेक्टर्स मॉक ड्रिल का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करें। साथ ही, शर्मा ने आवासीय, बहुमंजिला इमारतों और सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में मॉक ड्रिल की व्यवस्था के बारे में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।

वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह सचिव आनंद कुमार, पुलिस महानिदेशक यूआर साहू सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों ने मुख्य सचिव से की मुलाकात

भारतीय प्रशासनिक सेवा-2024 बैच के 14 प्रशिक्षु अधिकारियों ने बुधवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव सुधांश पंत से मुलाकात की।

जयपुर। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा आपको राष्ट्र की सेवा करने का अवसर देती है। प्रशासनिक अधिकारियों को मेहनत, सकारात्मक दृष्टिकोण, संवेदनशीलता एवं पूर्ण ईमानदारी के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आमजन की मदद करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए।

भारतीय प्रशासनिक सेवा-2024 बैच के 14 प्रशिक्षु अधिकारियों ने बुधवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव सुधांश पंत से मुलाकात की। पंत ने प्रशिक्षु अधिकारियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। संवाद के दौरान उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ अपनी ट्रेनिंग से जुड़े अनुभव भी साझा किए।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को निरंतर सीखने की जिज्ञासा बनाए रखनी चाहिए। जनसाधारण के जीवन को अधिक सहज और समृद्ध बनाने के लिए उन्हें निरंतर नई संभावनाओं और नवाचारों के लिए तत्पर रहना चाहिए। पंत ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान अपनी अवलोकन क्षमता से प्रशासनिक दक्षता प्राप्त करें, अभी आप जो सीखते हैं वह जीवन भर आपके काम आता है। उन्होंने आमजन की सेवा के लिए लोगों से अधिक से अधिक जुड़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने आपको प्रदेश के विकास में योगदान देने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। इसे ईमानदारी और प्रतिबद्धता से सिद्ध करें।

इस अवसर पर अतिरिक्त महानिदेशक, एच.सी.एम. रीपा, शैली किशनानी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

'अभ्यर्थी 11 तक दें उपस्थिति'

जयपुर। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत मुख्य मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों को 11 मई तक अपनी उपस्थिति कोचिंग संस्थानों में देनी होगी।

'अपील की सुनवाई से पहले 1 करोड़ 63 लाख 29 हजार 450 रुपये जमा कराओ'

राजस्थान रियल स्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल ने पलेशिया अपार्टमेंट के बिल्डर/निर्माता कंपनी ''ओम मेटल्स कन्सोटियम प्रा.लि.'' को आदेश यह आदेश दिये हैं

- इस मामले में रेरा कोर्ट ने आदेश दिये थे कि सितम्बर 2016 से 23 मई 2023 तक हर माह 10.60 प्रतिशत की दर पर कंपनी ''फ्लैट'' मालिक को ब्याज अदा करे और तुरंत ही ''फ्लैट'' मालिक को कब्जा सौंपे।
- अपीलार्थी कंपनी का कहना था कि उसके द्वारा पूरी कोशिश की गई कि वह समय पर ''फ्लैट'' उसके मालिक को सौंपा जा सके, परंतु कुछ आकस्मिक कारणों की वजह से भी वह ''फ्लैट'' मालिक को समय पर कब्जा नहीं दे पाया। जैसा कि विदित है कि वर्ष 2020-21 में कोविड महामारी ने पूरी दुनिया को जकड़ रखा था और इस वजह से कई लॉक डाउन भी लगाने पड़े थे
- अदालत ने इस तर्क को भी दरकिनार कर दिया क्योंकि बिल्डर कंपनी कोविड महामारी से पूर्व ही ''फ्लैट'' मालिक को कब्जा सौंप देना चाहिये था और सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ निर्णय था जिनमें बिल्डरों को ब्याज की राशि अपील संबंधी अदालत में जमा करने के प्रावधान में कोई राहत नहीं दी गई थी।

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान रियल स्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल ने स्टेच्यू सर्किल के समीप निर्मित पलेशिया अपार्टमेंट के बिल्डर व निर्माण करने वाली कंपनी ''ओम मेटल्स कन्सोटियम प्रा.लि.'' को आदेश दिये हैं कि अदालत उक्त कंपनी की अपील तभी सुन सकेगी जब रेरा कोर्ट के द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार उक्त कंपनी पलेशिया में फ्लैट खरीदार को देर से ''फ्लैट'' सौंपने पर लगाई गई पेनल्टी (जिसकी कुल राशि 1 करोड़ 63 लाख 29 हजार 450 रुपये) को अदालत में जमा नहीं करता।

इस मामले में रेरा अदालत ने ''फ्लैट'' मालिक शरद भंडारी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा था कि ओम मेटल्स कन्सोटियम प्रा.लि. ने समय पर ''फ्लैट'' मालिक को कब्जा नहीं दिया। इसके चलते रेरा ने आदेश दिये थे सितम्बर 2016 से 23 मई 2023 तक हर माह 10.60 प्रतिशत की दर पर कंपनी ''फ्लैट'' मालिक को ब्याज अदा करे और तुरंत ही ''फ्लैट'' मालिक को कब्जा सौंपे। नियमानुसार ऐसे मामलों में अगर कंपनी/बिल्डर अपील दायर करती है तो उसकी अपील सुने जाने से पहले ब्याज की पूरी राशि अदालत में जमा करनी होती है। इस मामले में पेश हुए याचिकाकर्ता शरद भंडारी की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ रांका पैरवी के लिये अपीलार्थी कंपनी ''ओम मेटल्स कन्सोटियम प्रा.लि.'' का कहना था कि उसके द्वारा पूरी कोशिश की गई कि वह समय पर ''फ्लैट'' उसके मालिक को सौंपा जा सके। उन्होंने अदालत को कहा कि कंपनी को को 20 जुलाई 2021 को कंपलीशन सर्टिफिकेट दे दिया था और 28 अप्रेल 2022 को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दे दिया था। इसके बावजूद ''फ्लैट'' मालिक ने 23 जून 2023 तक कब्जा नहीं लिये और सेल डीड भी क्रियान्वित नहीं किया। अपीलार्थी कंपनी का कहना था कि ''फ्लैट'' का कब्जा लेने में स्वयं ''फ्लैट'' मालिक ने देरी की है, जिसके कारण कंपनी को दंडित नहीं किया जाना चाहिये।

इसके विरोध में ''फ्लैट'' मालिक की ओर से कहा गया कि रेरा ने बिल्डर को ब्याज देने का दंड इसलिये दिया है क्योंकि रेरा कानून उन बिल्डरों व कंपनियों को दंड देना चाहती है जो समय पर ''फ्लैट'' का मालिकाना हक और कब्जा निवेशकों को नहीं देती है। अधिवक्ता सिद्धार्थ रांका का कहना था कि बिल्डर कंपनी अपील दायर करने से पूर्व बड़े ही मनगढ़ंत और अस्पष्ट कारण देकर ब्याज की राशि अदालत में अदा नहीं करना चाहती और इस कारण रेरा कानून की नींव पर ही निशाना साध रहे हैं बिना कानून को चुनौती दिये।

अपीलार्थी बिल्डर कंपनी की ओर से यह भी तर्क देने की कोशिश की गई कि कुछ आकस्मिक कारणों की वजह से भी वह ''फ्लैट'' मालिक को समय पर कब्जा नहीं दे पाया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020-21 में पूरे विश्व में कोविड महामारी का प्रकोप फैला हुआ था जिस वजह से भारत में भी कई बार लॉक डाउन लगाया गया। हालांकि अदालत ने इस तर्क को भी दरकिनार कर दिया क्योंकि बिल्डर कंपनी कोविड महामारी से पूर्व ही ''फ्लैट'' मालिक को कब्जा सौंप देना चाहिये था और सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ निर्णय था जिनमें बिल्डरों को ब्याज की राशि अपील संबंधी अदालत में जमा करने के प्रावधान में कोई राहत नहीं दी गई थी।

इस मामले में अपीलार्थी कंपनी द्वारा अदालत में ब्जाय की आधी राशि 81 लाख 64 हजार 725 रुपये सुनवाई से पूर्व जमा कर दिये थे, परंतु अदालत ने यह आदेश दिये हैं कि वे शेष बची आधी राशि भी अदालत में जमा कराये। इस मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को है।

पीएम मोदी पर जातिगत टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ पेश परिवाद खारिज

जयपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-11, महानगर द्वितीय ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जातिगत टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ पेश परिवाद को खारिज कर दिया है। पीठासीन अधिकारी दीक्षा सूद ने अपने आदेश में कहा कि अदालत न तो किसी की जाति और गोत्र निर्धारित करने का क्षेत्राधिकार अदालत को नहीं है और ना ही अदालत इसके लिए उचित मंच है।

परिवाद में कहा गया की उसने गत वर्ष 9 फरवरी को अखबार में पढा की राहुल गांधी की भारत जोडा न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंची है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जन्म से ओबीसी वर्ग के नहीं है। गुजरात की भाजपा सरकार ने मोदी को ओबीसी बनाया है और वे पिछडों के हक और हिस्सेदारी के साथ न्याय नहीं कर सकते। परिवाद में कहा गया की राहुल गांधी का सार्वजनिक तौर पर दिया ऐसा बयान भारतीय नागरिकों के विभिन्न वर्गों और समुदाय के प्रति अपराध करने के लिए उकसाने के लिए दिया गया है। यह बयान देश में अशांति पैदा करने वाला व देश की सुरक्षा को खतरे में डालने के साथ ही देश की अखंडता के खिलाफ भी है। परिवाद में यह भी कहा गया कि सार्वजनिक तौर पर राहुल गांधी खुद को कश्मीरी कौल पंडित बताते हैं, जबकि उनके दादाजी फिरोज गांधी गैर हिन्दू परिवार के थे। अदालत पूर्व में कई फैसलों में कह चुकी है कि पिता की जाति ही उसे बच्चे की जाति होगी। जाति जन्म से होती है और उसे बदला नहीं जा सकता। ऐसे में उन्होंने खुद की जाति छिपाकर बयान दिया है। जिससे परिवादी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। परिवादी ने मामले में शास्त्री नगर थाना पुलिस को शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए मामले में कानून कार्रवाई की जाए।

अलंकरण समारोह आज

जयपुर। सीआईडी अपराध शाखा के 195 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को गुरुवार को आयोजित अलंकरण समारोह होगा। 195 अधिकारियों व कार्मिकों को सम्मानित किया जायेगा।

भारतीय ज्ञान प्रणाली पर हो रहे कार्यों के प्रकाशन और प्रसार के लिए परियोजना शुरू होगी : आचार्य बालकृष्ण

हरिद्वार। भारत के प्राचीन गौरवमयी ज्ञान परम्परा के संरक्षण के लिए संकल्पित सर्वश्रेष्ठ शोध संस्थान पतंजलि विश्वविद्यालय व पतंजलि रिसर्च फाउण्डेशन (पीआरएफ) एवं भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रभाग, शिक्षा मंत्रालय,भारत सरकार के मध्य परस्पर सहयोग एवं शैक्षणिक समन्वय हेतु एक एमओयू (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर हुए। समझौता ज्ञापन पर पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य बालकृष्ण तथा भारतीय ज्ञान प्रणाली की कार्यान्वयन समिति वकार्यकारी समिति के अध्यक्ष प्रो. अनिल सहस्त्रबुद्धि ने हस्ताक्षर किए।

कार्यक्रम में आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि उक्त एमओयू के माध्यम से आईकेएस प्रभाग के अंतर्गत विविध विषयों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, कार्यशाला व सम्मेलन आदि के आयोजन हेतु पतंजलि विश्वविद्यालय को आईकेएस केंद्र के रूप में मान्यता दी जा सकेगी। साथ ही पतंजलि विश्वविद्यालय और इसके संबद्ध शोध संस्थान पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन द्वारा भारतीय ज्ञान प्रणाली पर किए जा रहे विद्वत्तापूर्ण कार्यों के प्रकाशन और प्रसार के लिए एक संयुक्त परियोजना भी प्रारंभ की जा सकेगी।

आचार्य ने कहा कि पतंजलि विश्वविद्यालय और पीआरएफटी इस कार्य के निष्पादन में अपनी वैज्ञानिक जनशक्ति का प्रयोग करेंगे। आईकेएस प्रभाग भारतीय इतिहास को समर्पित एक संग्रहालय की स्थापना पर पतंजलि विश्वविद्यालय, आईकेएस केंद्र के साथ मिलकर काम करेगा, जिसमें न केवल पुरातात्विक कलाकृतियाँ शामिल होंगी,बल्कि ऐतिहासिक ज्ञान, वैज्ञानिक साक्ष्य और भारतीय ज्ञान प्रणाली का व्यापक प्रतिनिधित्व भी होगा। उन्होंने कहा कि पतंजलि विश्वविद्यालय भारत के प्राचीन ज्ञान और ज्ञान के दस्तावेजीकरण और संरक्षण पर आईकेएस प्रभाग की परियोजनाओं में सहयोग करेगा, जिसमें अनुष्ठान, संगीत, पांडुलिपियां, प्राचीन सभ्यता, सामाजिक-आर्थिक पहलू, भाषाएं, चिकित्सा और उपचार पद्धतियां, शासन पद्धतियां, रक्षा प्रणाली, प्राकृतिक आपदाओं- बाढ़, सूखा आदि से निपटने के लिए स्वदेशी तरीके शामिल हैं। साथ ही आईकेएस प्रभाग के सहयोग से पतंजलि विश्वविद्यालय और पीआरएफटी द्वारा किए जा रहे शोध से संबंधित दस्तावेजीकरण, पांडुलिपियां, कला से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य, वस्तुएं और अन्य ऐतिहासिक साक्ष्यों को संरक्षित किया जाएगा। पतंजलि विश्वविद्यालय आईकेएस प्रभाग से पूर्व सहमति और अनुमोदन के साथ भारतीय ज्ञान प्रणाली के आधार पर ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रम या व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी विकसित करेगा।

इस अवसर पर प्रो. सहस्त्रबुद्धि ने कहा कि आईकेएस प्रभाग इतिहास, भारतीय दर्शन आदि के अनुशासन के भीतर भारतीय ज्ञान प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य पर आधारित अनुसंधान में पतंजलि विश्वविद्यालय के साथ सहयोग करेगा। उन्होंने बताया कि आईकेएस प्रभाग पतंजलि विश्वविद्यालय के साथ मिलकर इतिहास-केंद्रित वैज्ञानिक प्रयोगशाला विकसित करेगा, जिसमें भारतीय दर्शन, इतिहास और ज्ञान प्रणालियों के मूलभूत सिद्धांतों का पता लगाने और उनकी व्याख्या करने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग करेगा। साथ ही आईकेएस प्रभाग शोध कार्यों के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करने हेतु अन्य मंत्रालयों के साथ संपर्क में मदद करेगा।

कार्यक्रम में आईकेएस प्रभाग के राष्ट्रीय समन्वयक प्रो. जी. सूर्यनारायण मूर्ति, पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रति-कुलपति डॉ. मयंक अग्रवाल,पतंजलि हर्बल रिसर्च डिविजन की प्रमुख डॉ. वेदप्रिया आर्या व अन्य उपस्थित रहे।

समझौता ज्ञापन पर पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य बालकृष्ण तथा भारतीय ज्ञान प्रणाली की कार्यान्वयन समिति वकार्यकारी समिति के अध्यक्ष प्रो. अनिल सहस्त्रबुद्धि ने हस्ताक्षर किए।

- पतंजलि विश्वविद्यालय व पतंजलि रिसर्च फाउण्डेशन एवं भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रभाग, शिक्षा मंत्रालय,भारत सरकार के मध्य परस्पर सहयोग एवं शैक्षणिक समन्वय हेतु एक एमओयू

कॉनफैड की बेशकीमती जमीन को कब्जा मुक्त कराया

जयपुर। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कॉनफैड) की बेशकीमती जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया है। न्यायालय का निर्णय कॉनफैड के पक्ष में आने के बाद नगर निगम ग्रेटर, जयपुर द्वारा यह कार्यवाही की गई है।

कॉनफैड की प्रशासक एवं रजिस्ट्रार सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने बताया कि राजापार्क के पंचवटी सर्किल स्थित राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के भूखण्ड पर विगत कई वर्षों से कब्जा था तथा इस सम्बन्ध में वाद न्यायालय में विचाराधीन था। कुछ माह पूर्व हुई कॉनफैड की 39वीं वार्षिक आम सभा में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कर निस्तारण करवाने तथा कब्जा हटवाने का निर्देश दिए गए थे।

भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया : राजेन्द्र राठौड़

जयपुर। विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने आज पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान पर किए गए कड़े प्रहार पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आज 140 करोड़ देशवासियों का सीना गर्व से फूला हुआ है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के ठीक 15 दिन बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एक के बाद एक हमले कर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया है। हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर पहलगाम आतंकी हमले का उसे मुंहतोड़ जवाब दिया है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। हमारे वीर जवानों और भारतीय सेना पर हमें गर्व है।

राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए आतंकवाद को समाप्त करने के लिए लश्कर ए तोयबा, हिजबुल मुजाहिद्दीन और जैश ए मोहम्मद के 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। इसी क्रम में आज राजस्थान के 28 स्थानों पर दोपहर 3.30 बजे से मॉकड्रिल और रात 8 बजे ब्लैक आउट की रिहर्सल का कार्यक्रम रखा गया है।

'आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने की आवश्यकता'

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राष्ट्र रक्षा के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी ठिकानों पर किये गये हमले का कदम सराहनीय है। प्रधानमंत्री और भारतीय सेना का इस कार्य के लिए पूरा राष्ट्र अभिनन्दन कर रहा है। देवनानी ने कहा कि आतंकवादी कैम्प को भारतीय सेना ने हमलों से नेस्तनाबूद किया है। देवनानी ने कहा कि आतंकवाद को जड से समाप्त करने के लिए ऑपरेशन सिन्दूर जैसे अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है।